



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी.सी. - 12, पी. विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ



गैपता अधिसू-31.12.2017, संक. मास

सदर सचिव, F47502

सी-5/एम्पलीपसी-638/14

दिनांक 12-2-18

सेवा में,

मेड एक्सपेरियन्स डेवलपर्स एण्ड एक्सपेरियन्स इन्फॉर्मेटिटी प्राइवेट
टी.सी. जी-1/ए.पी.-6 व टी.सी. जी-1/ए.पी.-7,
विभूति खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ।

विषय: पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नई इकाई की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र
निर्गमन।

साहोदर,

कृपया उपासीत विषयक अपने अनापत्ति प्रमाण हेतु जावेदन पत्र दिनांक
17.06.14 को सदर में। परिसीमा को पर्यावरणीय प्रदूषण से दृष्टिकोण से निम्नलिखित
निश्चित शर्तों एवं संहान्य शर्तों (संहान्यक) के समुचित अनुपालन के साथ सफल अनापत्ति
प्रमाण पत्र स्वीकृत किया जाता है।

2. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित निश्चित विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है।

(क) स्थल:

मेड एक्सपेरियन्स डेवलपर्स एण्ड एक्सपेरियन्स
इन्फॉर्मेटिटी प्राइवेट
टी.सी. जी-1/ए.पी.-6 व टी.सी. जी-1/ए.पी.-7,
विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

(ख) उत्पादन:

साद एरिय - 21,573.95 वर्गमीटर
डिस्ट ग्रुप एरिय - 1,24,082.21 वर्गमीटर
रेजीडेन्शियल वॉम कंजर्वेशन कांप्पाउन्स प
मल्टीप्लेक्स

(घ) औद्योगिक उत्सर्गाह की मात्रा शून्य

(ङ) प्रयुक्त ईंधन 2000 केलीग्रेड x 4 डीजेली सेट
 1010 केलीग्रेड x 1 डीजेली सेट
 750 केलीग्रेड x 1 डीजेली सेट
 ईंधन आवश्यकानुसार।

उपयुक्त विषय वस्तु में से किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनुमति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने आवश्यक होगा।

- परियोजना में सभी आवश्यक एवं लागू हरित क्रेडिट्स एकाईग्रीड तथा बाहु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में ही सभी प्राप्ति रिपोर्ट इस कार्यक्रम में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निम्नलिखित प्रेषित करें।
- प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु निर्माण कार्य आगुती के लिए किसे एवं आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक 30/09/2014 तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।
- परेसु जल नाल की बांधन हेतु 360 केलीग्रेड की क्षमता का एकाईग्रीड तैयार करने तथा एकाईग्रीड की डिजाईन/क्रेडिट्स एक माह में प्रस्तुत की जाये।
- परियोजना का निर्माण कार्य पर्यावरण विभाग से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के अनन्त ही किया जाये एवं प्राप्त स्वीकृति की प्रति यहाँ में प्रस्तुत की जाये।
- एकाईग्रीड से सीमित उत्सर्गाह को ड्युअल फ्लशिंग सिस्टम (Dual Flushing System) के माध्यम से पुनः प्रयोग किया जाये तथा अवशेष उत्सर्गाह को सिपाई 4 डीजेली कूलिंग हेतु प्रयुक्त किया जाये तथा किसी भी दशा में शुद्धिकृत/अशुद्धिकृत उत्सर्गाह को परिसर से बाहर निस्सारित न किया जाये।
- परियोजना से जनित म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के सुरक्षित एकत्रण एवं सुझीकरण हेतु गृहि निहित कर तभी कम्पायंटिंग की व्यवस्था स्थापित की जाये तथा प्रस्ताव एक माह में यहाँ में जमा किया जाये।
- परियोजना का संघालन बोर्ड से जल/वायु गहनता प्राप्त कर ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- परियोजना में इन वाटर हार्नेडिंग को स्थापना की जाये।
- परियोजना में निम्नानुसार ग्रीन बेल्ट की स्थापना की जाये।
- परियोजना में दिनांक बोर्ड से अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त किसे एवं निम्नलिखित प्लांट की स्थापना न की जाये।
- परियोजना में विद्युत ऊर्जा की वैकल्पिक व्यवस्था से कम में सीकर पैनाल एवं सौरट का

14. परियोजना में प्रस्तावित डी.जी. सीट पर मानकों को अनुसूच ध्वनि/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जाये तथा डी0जी0 सीट से जनित वेस्ट आगल प्राविष्ट संस्था को ही दिया जाये।
15. परियोजना की स्थापना हेतु जलनक विकास अधिकरण द्वारा स्वीकृत व निर्मित सिव एन वाइ ने बोर्ड ने जमा किया जाये।
16. परियोजना के निर्माण के समय जनित कुल छे कमी को नियंत्रित करने हेतु पर्याप्त मात्रा में जमित सोला पर कटर, स्पलर व धरिखर में जल छिन्नकन की पर्याप्त व्यवस्था की जाये।

संशोधित शर्तों का तालाई से अनुपालन सुनिश्चित करे शर्तों का अनुपालन न होने की दशा में सशाय द्वारा प्रेषित कर 10,00,000/- (रु० दस लाख मात्र) बैंक गारन्टी बोर्ड को धरा में अधुपान की जा सकती है।

अध्या ध्यान है कि समुपुषल लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एन संशोधनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिपण सुनिश्चित है कि अनापति की शर्तों ने संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। समुपुषल विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में जखण द्वारा इन कार्यालय में दिनांक 30.09.2014 तक प्रथम अनुपालन अध्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन अध्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया सं संजाय है।

सचरीय,

 सदस्य सचिव

सुप्रातन सं०

/एत ओ. सी.

तद दिनांक

प्रतिलिपि:

संजीय अधिकारी, एन प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
 (सर्किल-5)